न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0**

राजस्व वाद संख्या : 153/2011

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. धन्नाराम पुत्र पांचाराम
   जाति-माली, निवासी-बलून्दा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरूराम पुत्र गिरधारीराम जाट
2. मिसरीराम पुत्र गिरधारीराम जाट
3. हरीराम पुत्र गिरधारीराम जाट
4. बक्साराम पुत्र प्रताप जाट
5. पूसाराम पुत्र शिवराम कुम्हार
6. धर्माराम पुत्र पूनाराम माली
7. जोगाराम पुत्र कानाराम गुर्जर
8. चुतराराम पुत्र केसाराम माली
9. तुलछाई पत्नी गुदड़राम माली
10. हाथीराम पुत्र गुदड़राम माली
11. गोरधनराम पुत्र गुदड़राम माली
12. कुमावत समाज बलून्दा के प्रतिनिधिगण जोगाराम पुत्र बक्ताराम फौत के कायम :-
    12/1- महेन्द्र पुत्र जोगाराम
    12/2- उगमाराम पुत्र जोगाराम
13. भंवराई पत्नी शिवराम कुम्हार
14. बिदामीदेवी पत्नी धर्माराम माली
    निवासीगण-बलून्दा,
    तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:-13.07.2011

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 12/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 1227 रकबा 76 बीघा की आराजी आई हुई है। जिसमें वादी धन्नाराम 3/64वें हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है। नकल चालू जमावंदी इस वाद के साथ पेश है। वादीगण की उक्त आराजी बलून्दा से बांजाकुडी जाने वाली सड़क से पश्चिम और सड़क से चिपते ही आई हुई है। जिसका नक्शा ट्रेश भी वाद के साथ पेश किया है। इस भूमि को आगे वाद-पत्र में विवादित भूमि के नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। वादी अपने हक हिस्से की उक्त आराजी पर आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहते है व अपने हक हिस्से की भूमि के चारों तरफ मेड़बंदी करवाकर काली मिट्टी डालकर भूमि उपजाऊ बनाकर, इसमें कूंआ खुदवाकर उन्नत तरीके से काश्त करवाना चाहते है। इस प्रयोजनार्थ आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की आवश्यकता है। वादी ने आराजी का बंटवाड़ा कराने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

से स्पष्ट ईन्कार कर दिया कि वह सहमति से बंट्वाडा कराने का विधिक अधिकारी है। इसलिए यह वाद पत्र बाबत बंटवाड़ा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। वादी प्रतिवादीगण की उक्त आराजी संयुक्त व शामलाति हैं, जिसका अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नही हो रखा है। वादी की उक्त आराजी बांजाकुडी से बलून्दा जाने वाली सड़क के चिपते ही स्थित है। इसी वजह से अब प्रतिवादी हाथीराम की नियत बद हो गई हैं। वह आराजी का बिना बंटवाड़ा कराये ही सडक के चिपते ही बूमूल्य व कीमती जमीन के विशिष्ट भू-भाग को अपना होना बताकर के अजनबी केता को बेचान करना चाह रहा है। दिनांक 11/07/2011 को ही प्रतिवादी हाथीराम ने वादी को एलानिया कथन किया कि सड़क के पास वाली चार बीघा भूमि बेचान करनी तय कर ली है। हाथीराम को विधिक प्रावधानों अनुसार आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कराये बिना अजनबी केता विवादित आराजी को न तो खरीद सकता है, न ही विशिष्ट भू-भाग का कब्जा ही हासिल कर सकता है। लेकिन प्रतिवादी विधिक प्रावधानों से परे जाकर ऐसा दुष्कृत्य करने को आमादा है। यदि प्रतिवादी हाथीराम ने आराजी के विशिष्ट भू-भाग को बेचान कर देता है तो वादी को असीम क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही होगी व आराजीं के कब्जे को लेकर के मौके पर विवाद होगा, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। तब इन समस्त परिस्थितियों में वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वाद-पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार, जैतारण जो इस वाद में भूमिधारी राज0 सरकार के प्रतिनिधि होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। बिनायवाद दिनांक 11/07/2011 को प्रतिवादी हाथीराम द्वारा वादी को उक्त विवादित आराजी का बंट्वाड़ा कराने से ईन्कार करने व भूमि से बेदखल कर बेचान करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-बलून्दा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – बलून्दा में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 1227 रकबा 76 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादी तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज़ हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौंप कर करावें। नजरी नक्शा व राजीनामा को निर्णय का एक आवश्यक भाग माना जावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंट्वाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रूबरू उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 12/06/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-बलून्दा, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 1227 रकबा 76 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	चुनीदेवी पत्नि भंवरूराम, स्वरूपराम गोदपुत्र भंवरूराम हरीया पुत्र गिरधारी बक्शाराम पुत्र प्रताप 3/4 हि. (मिश्रीया पुत्र गिरधारी 1287/1291 कौम-जाट समस्त कुमावत समाज बलून्दा (चमालिस) प्रतिनिधि जोगाराम पुत्र बक्ताराम कौम-कुमावत 4/1291)=1/4 कौम-जाट सा0 देह खातेदार।	1227	64-11-00	चा0दो0	32.02 रू.
2	हुकमाराम पुत्र चन्द्राराम कौम-जाट बाबूलाल पुत्र हीराराम कौम-माली सा0 देह खातेदारं	1227/1 1231/1	2-00-00 2-00-00	चा0दो0 चा0दो0	1.00 रू. 1.00 रू.
	योग	2	4-00-00		2.00 रू.
3	धना पुत्र पांचा कौम-माली सा0 देह खातेदार।	1231/2	6-01-00	चा0दो0	3.00 रू.
4	रूकमा पुत्री शिवराम कौम-कुम्हार 449/1089, धर्माराम पुत्र पूनाराम 133/1089 भिदामीदेवी पत्नि धर्माराम 63/1089 चुतरा पुत्र केसा 161/1089 तुलछाई पत्नि गुदड़राम हाथीराम गोरधनराम पि0 गुदड़राम 243/1089 कौम-माली, जोगाराम पुत्र कानाराम 40/1089 कौम-गुर्जर सा0 देह खातेदार।	1227/2 1231	9-09-00 45-00-00	चा0दो0 चा0दो0	4.68 रू. 22.30 रू.
	योग	2	54-09-00		26.98 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविरि-बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. धन्नाराम पुत्र पांचाराम
जाति–माली, निवासी–बलून्दा
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. भंवरूराम पुत्र गिरधारीराम जाट
2. मिसरीराम पुत्र गिरधारीराम जाट
3. हरीराम पुत्र गिरधारीराम जाट
4. बक्साराम पुत्र प्रताप जाट
5. पूसाराम पुत्र शिवराम कुम्हार
6. धर्माराम पुत्र पूनाराम माली
7. जोगाराम पुत्र कानाराम गुर्जर
8. चुतराराम पुत्र केसाराम माली
9. तुलछाई पत्नी गुदड़राम माली
10. हाथीराम पुत्र गुदड़राम माली
11. गोरधनराम पुत्र गुदड़राम माली
12. कुमावत समाज बलून्दा के प्रतिनिधिगण. जोगाराम पुत्र बक्ताराम फौत के कायम :–
    12/1– महेन्द्र पुत्र जोगाराम
    12/2– उगमाराम पुत्र जोगाराम
13. भंवराई पत्नी शिवराम कुम्हार
14. बिदामीदेवी पत्नी धर्माराम माली
निवासीगण–बलून्दा,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0 स0:153/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा–बलून्दा, तहसील–जैतारण में वादी व प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 53 बीघा 01 बिस्वा व खसरा संख्या 1227 रकबा 76 बीघा का निम्नांकित रूप से बंट्वाड़ा किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	चुनीदेवी पत्नि भंवररूराम, स्वरूपराम गोदपुत्र भंवरूराम हरीया पुत्र गिरधारी बक्शाराम पुत्र प्रताप 3/4 हि. (मिश्रीया पुत्र गिरधारी 1287/1291 कौम–जाट समस्त कुमावत समाज बलून्दा	1227	64-11-00	चा0दो0	32.02 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	(चमालिस) प्रतिनिधि जोगाराम पुत्र बक्ताराम कौम–कुमावत 4/1291)=1/4 कौम–जाट सा0 देह खातेदार।				
2	हुकमाराम पुत्र चन्द्राराम कौम–जाट बाबूलाल पुत्र हीराराम कौम–माली सा0 देह खातेदारं	1227/1 1231/1	2-00-00 2-00-00	चा0दो0 चा0दो0	1.00 रू. 1.00 रू.
	योग	2	4-00-00		2.00 रू.
3	धना पुत्र पांचा कौम–माली सा0 देह खातेदार।	1231/2	6-01-00	चा0दो0	3.00 रू.
4	रुकमा पुत्री शिवराम कौम–कुम्हार 449/1089, धर्माराम पुत्र पूनाराम 133/1089 भिदामीदेवी पत्नि धर्माराम 63/1089 चुतरा पुत्र केसा 161/1089 तुलछाई पत्नि गुदड़राम हाथीराम गोरधनराम पि0 गुदड़राम 243/1089 कौम–माली, जोगाराम पुत्र कानाराम 40/1089 कौम–गुर्जर सा0 देह खातेदार।	1227/2 1231	9-09-00 45-00-00	चा0दो0 चा0दो0	4.68 रू. 22.30 रू.
	योग	2	54-09-00		26.98 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलून्दा पर जारीं किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	05–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	08–00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner